

न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 04 / 2017

प्रार्थी

बनाग

अप्रार्थी

1- मनोहर डागा पुत्र प्रेमसुख
जाति माहेश्वरी निवासी
श्रीराम बिल्डिंग के पास,
महामंदिर चौराहा, जोधपुर
तहसील जोधपुर।

1- भारत संघ जरिये परियोजना
निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय
राजमार्ग-65 जोधपुर पाली

2- भूमि अवाप्ति अधिकारी अपर
जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर।



आर्बीट्रेशन आवेदन अन्तर्गत धारा 3जी(5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश संख्या 2567
दिनांक 27.08.2015 भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन एच-65
जोधपुर पाली खण्ड)

उपस्थिति :-

दिनांक : 27.12.2022

1. श्री चेतनराम जाखड़ व जगदीश प्रजापत अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2. श्री मनोज गहलोत अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष-2)

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक:
NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956
का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के कि.मी. 308/0 से कि.मी. 378/15 तक के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन का बनाने आदि) हेतु ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 202 भूखण्ड सं० 19, 3 व 4 तथा खसरा सं० 201/1 का भूखण्ड सं० 1, ख.नं. 202/2 का भूखण्ड सं० ए-19, ख.नं. 202/4 का भूखण्ड सं० 14 की भूमि को भारत सरकार के द्वारा अर्जन करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 12.03.2015 को जारी हुई एवं (डी) की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 202/4 का भूखण्ड सं० 3 (आवासीय रूपान्तरित) खातेदार मोहम्मद उमर, मोहम्मद इलियास एवं मोहम्मद तयब से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 05.03.2013 को खरीद किया गया एवं नामान्तरण सं० 988 के जरिये प्रार्थी को ख.नं. 202/4 के 150 वर्गगज का खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा भूखण्ड के चारो ओर छः फीट उंचाई की चार दीवार का निर्माण किया हुआ। प्रार्थी की आवासीय भूमि 150 वर्गगज में से कुछ भूमि अवाप्ति में प्रभावित हुई, परन्तु सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी के भूखण्ड को पाली जोधपुर सं० 150 फीट चौड़ा मानकर प्रार्थी का भूखण्ड सड़क हेतु अवाप्त नहीं करना मानकर मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं माना। प्रार्थी को अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 27.08.2015 की जानकारी होने पर प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी का ख.नं. 202/4 भूखण्ड सं० 3 जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 के लिये अवाप्त की गई भूमि में आता है तथा प्रार्थी की भूमि ख.नं. 200, 202/1, 202/3 व 202/4 के अवाप्त भूखण्डों की लाईन में आता है जो भूखण्ड सड़क के केन्द्र बिन्दु से 50 फुट छोड़ कर आने से मुआवजा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.12.2016 को प्रार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया गया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना कहा। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूखण्ड सं० 3 रकबा 125.18 वर्गमीटर का इसी खसरा न० 202 के आवासीय पट्टासुदा भूखण्डों की रेट से मुआवजा निर्धारण कर मय ब्याज एवं खर्चा सहित प्रार्थी को दिलाये जाने की इस्तदुआ की।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (04/2017) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज गेहलोत उपस्थित हुए तथा दिनांक 04.02.2020 को जबाब पेश किया।

अप्रार्थीपक्ष ने प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब पेश करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी की कोई भी भूमि के संबंध में कोई भी भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, न ही भूमि अवाप्ति की गई। प्रार्थी ने दुर्भावनावश तरीके से व मुगालते में रखकर सरकारी राशि को हड़प करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा मात्र पाली रोड़ जो कि कुछ स्थानों पर गोलाई में होने के कारण सड़क सीमा पूर्व में 150 फीट होने के उपरान्त जानबूझकर रोड़ को 100 फीट बताते हुए क्लेम मांगने का प्रयास कर रहा है जो गलत है।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के पदवार जबाब में पद सं० 1 में लिखे गये तथ्य भूखण्ड के संबंध में लिख गये वो पूर्णतया गलत होना कहा। पद सं० 2 के तथ्य रिकॉर्ड आधारित होना बताया। प्रार्थना पत्र के पद सं० 3 के तथ्य सही नहीं होना बताया गया। इसके संबंध में कहा कि ख.नं. 202/4 के खातेदार बुधाराम ने अति. तहसीलदार लूणी के आदेश 369-71 दिनांक 17.01.1994 द्वारा रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि 5665.59 वर्गमीटर आवासीय संपरिवर्तन किया गया, तत्पश्चात् इस भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट काटे गये जिसमें नक्शे में भूमि के सामने (सड़क की ओर) 150 फीट नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त भूमि में से प्लॉट सं०-3 प्रार्थी द्वारा खरीद किया गया उसमें रेजिडेंसियल स्कीम ख.नं. 202/4 का नक्शा जिसमें जोधपुर पाली रोड़ को 150 फीट चौड़ा दर्शाया गया है, इन परिस्थितियों में मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होना बताया। जबाब में पद सं० 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में उल्लेखित तथ्यों को पूर्णतया गलत होना कहा। प्रार्थी की एक इंच भूमि अवाप्ति नहीं करना बताया गया। जबाब के अंत में प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश हुई :-

- 1- दस्तावेज बेचाननामा फोटो प्रति बहक मनोहर डागा
- 2- दस्तावेज फोटो प्रति नामान्तरकरण सं० 986 ग्राम भाकरासनी बहक मनोहर डागा
- 3- दस्तावेज रिकॉर्ड रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर का आदेश दिनांक 27.08.2015 की प्रमाणित प्रति

जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर कार्यालय की कार्यालय रिप्लणी की प्रमाणित प्रति।

6- उपखण्ड अधिकारी लूणी का पत्रांक/भूमि अवाप्ति/2016/533 दिनांक 04.02.2016 मय पटवारी की रिपोर्ट जो सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर को लिखा गया, की प्रमाणित प्रति

7- सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर का पत्रांक 3212 दिनांक 22.12.2016 जो प्रार्थी को लिखा गया, की प्रमाणित प्रति।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज दस्तावेज पेश हुए।

- 1- दस्तावेज बेचाननामा फोटो प्रति बहक मनोहर डागा
- 2- दस्तावेज फोटो प्रति आममुखत्यारनामा बहक अनिल राठी
- 3- दस्तावेज फोटो प्रति बेचाननामा बहक मोहम्मद उमर वगैरा
- 4- दस्तावेज फोटो प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर का आदेश दिनांक 27.08.2015 की प्रमाणित प्रति उभयपक्ष की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में बतलाया कि प्रार्थी की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा भूखण्ड संख्या 03 बनाप 125.18 वर्गमीटर ख.नं. 202/4 ग्राम भाकरासनी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर आया हुआ है। अन्य भूखण्डों के साथ प्रार्थी का भूखण्ड भी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 को चौड़ा करने/चारलेन बनाने के लिए अवाप्त किया गया। बहस में यह भी बतलाया कि प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में इस भूखण्ड का खातेदार दर्ज है तथा इस भूखण्ड के चारों ओर छः फीट उंची चार दीवारी निर्मित की गई। प्रार्थी की तरह ही ख.नं. 202 के भूखण्ड सं० 19, 3 व 4, खसरा नम्बर 202/1 का भूखण्ड सं० 1, ख.नं. 202/2 का भूखण्ड संख्या ए-19 भी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 पर आये हुए है। राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 100 फीट रखी गई है। बहस में आगे कहा कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड को सड़क हेतु अवाप्त करना नहीं मानकर मुआवजा का हकदार नहीं माना है। अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 25.08.2015 की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि ख.नं. 202/4 भूखण्ड सं० 03, ख. नं. 200, 202/1, 202/2, 202/3 व 202/4 के अवाप्त किये गये भूखण्डों की लाईन से उनको मुआवजा दिया गया, लेकिन प्रार्थी को उसी लाईन एवं सीमा में आने वाले भूखण्ड को प्रार्थी से 150 फीट चौड़ा मानकर मुआवजा देने से इन्कार कर दिया गया। आगे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अवाप्ति अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी लूणी से रिपोर्ट

चाही गई तथा उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार लूणी व हलका पटवारी से रिपोर्ट मांगी। हलका पटवारी ने मौका की जांच रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड में सड़क 100 फीट होना तथा प्रार्थी का भूखण्ड सड़क पर होना बताया। बहस में आगे यह भी कहा कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार इसी सड़क को 100 फीट मानकर अन्य सभी खातेदारों को मुआवजे के लिए हकदार मानकर मुआवजा की राशि का निर्धारण किया लेकिन प्रार्थी को उसी सड़क को 150 फीट चौड़ा मानकर मुआवजा का हकदार नहीं मानना विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। बहस के अन्त में प्रार्थी को ग्राम भाकरासनी के ख.नं. 202/4 भूखण्ड सं० 03 बनाप 125.18 वर्गमीटर का ख.नं. 200, 202/1, 202/2 व 202/3 के आवासीय भूखण्ड की दर से मुआवजा का निर्धारण किया जाकर मय ब्याज दिलाये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि प्रार्थी के भूमि के संबंध में कोई भी भूमि अवाप्ति का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, न ही भूमि अवाप्ति की गई है। प्रार्थी ने दुर्भावनावश तरीके से व मुगालते में रखकर सरकारी राशि को हड़प करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा मात्र पाली रोड़ जो कि कुछ स्थानों पर गोलाई में होने के कारण सड़क सीमा पूर्व में 150 फीट होने के उपरान्त जानबूझकर रोड़ को 100 फीट बताते हुए क्लेम मांगने का प्रयास कर रहा है जो गलत है।

बहस में आगे कहा कि प्रार्थी व उसके पूर्व हक स्वत्व अधिकारों एवं उपरोक्त समस्त आसपास की जमीनों के संबंध में जो बेचाननामें, नक्शे इत्यादि बनाये गये प्रार्थी उनसे एस्टोपल है। सभी दस्तावेज सरकारी और पंजीबद्ध है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज को मिथ्या बनाये जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह पूर्णतया गलत है। मौके की भौतिक स्थिति जो कि तीन विभागों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, भौतिक स्थिति के अनुसार प्रार्थी की एक ईंच की भूमि अवाप्त नहीं की गई है, न ही प्रार्थी की भूमि में से किसी प्रकार की रोड़ ही बनाई गई। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाया कि उक्त भूखण्ड सं० 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 पर 150 फीट की दूरी पर स्थित होने के कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बहस के अंत में प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पंचाट आदेश से पूर्व हलका पटवारी भाखरासनी को राजस्व रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी के ख.नं. 202/4 रकबा 3.10 बीघा भूमि से संबंधित निम्नलिखित रिकॉर्ड/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

संबंधित निम्नलिखित रिकॉर्ड/आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।
संयुक्त जिला मजिस्ट्रेट

अ- कार्यालय विहित प्राधिकारी अतिरिक्त तहसीलदार लूणी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश (मि.न. 90/40)/369-71 दिनांक 27.0194 बाबत ग्राम भाकरासनी के ख.न. 202/4 रकबा 3.10 बीघा का आवासीय संपरिवर्तित किया गया।


ब- ग्राम भाकरासनी के ख.नं. 202/4 एवं उसके आस-पास का NIC-BHUNAKSHA कमप्यूटराईज नक्शा की प्रमाणित प्रति।

स- ग्राम भाकरासनी का नामान्तरकरण सं० 204 की प्रमाणित प्रति मय हलका पटवारी को जारी आदेश की फोटो प्रति।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार- The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी कोर्डेड लाईन दिनांक 28.10.2017 के बिन्दु 10 (iii) में स्पष्ट किया कि " Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. It may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of Section 3A notification. For instance, if some landowner/ interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the " Change in Land Use " from the competent authority prescribed by the state government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as " Industrial"



or " Commercial". Therefore, due to diligence has to be exercised by the CALA while determining the land use/ nature of land and working out the market value of land "

प्रार्थीपक्ष द्वारा पूर्व में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा सुनवाई में सक्षम प्राधिकारी स्वीकारोक्ति है कि ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 202/4 के 3डी अधिसूचना में बुद्धाराम पुत्र रूगाराम मेघवाल का नाम दर्ज है, अति. तहसीलदार लूणी ने जरिये आदेश क्रमांक 369-71 दिनांक 27.01.1994 द्वारा रकबा 5665.59 वर्गमीटर आवासीय संपरिवर्तन बुद्धाराम पुत्र रूगाराम के नाम जारी किया गया तथा बुद्धाराम ने संपरिवर्तन आवासीय भूखण्ड का विभाजन कर भूखण्ड सं० 3 बनाप 125.18 व.मी. जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 17.07.2000 को मो.उमर, मो. इलियास, मो. तैययब को किया गया। मो.उमर वगैरा ने उक्त भूखण्ड 3 बनाप 125.18 व.मी. भूमि का बेचान दिनांक 05.03.2013 को मनोहर डागा पुत्र प्रेमसुख डागा के पक्ष में किया गया तथा उपरोक्त आवासीय बेचान भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तरकरण सं० 986 इन्द्राज भी मनोहर डागा के पक्ष में किया हुआ है। ख. नं. 202/4 की रेजिडेन्सियल स्कीम नक्शा जो बुद्धाराम द्वारा बनाया गया जिसमें जोधपुर पाली रोड़ को 150 फीट चौड़ा दर्शाया गया है अतः मात्र उक्त दस्तावेज के आधार पर ही सड़क हेतु अवाप्त नहीं मानते हुए प्रार्थी का क्लेम दिनांक 27.08.2015 को निरस्त कर देना विधिक भूल ही है। सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रार्थीपक्ष के प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भाकरासनी के ख.नं. 202/4 रकबा 3.10 बीघा किस्म आवासीय जरिये अवाप्ति/अवॉर्ड जारी के समय रिकॉर्ड में यह खसरा बुद्धाराम पुत्र रूगाराम के नाम दर्ज था जिसका मुआवजा सूची/अवाप्ति की सूची में नाम दर्ज है। ख.नं. 202/4 में से एक भूखण्ड सं० 3 जो 45X30 फीट मनोहर डागा पुत्र प्रेमसुख डागा के नाम बेचान किया हुआ है, जो सड़क पर स्थित है एवं **45X25 फीट यानि 0.0104 हेक्टर भूमि** अवाप्ति की श्रेणी में है। पूर्व में राजस्व नक्शा में एन एच 65- 100 फुट दर्ज होना बताया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज यथा विहित प्राधिकारी (अतिरिक्त तहसीलदार लूणी) द्वारा ख.नं. 202/4 रकबा 3.10 बीघा यानि 5665.59 वर्गमीटर का संपरिवर्तन आदेश, नामान्तरकरण सं० 986 ग्राम भाकरासनी बहक मनोहर डागा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ख.नं. 202/4 रकबा 3.10 बीघा सम्पूर्ण आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है तथा प्रार्थी मनोहर डागा के पक्ष में भूखण्ड सं० 3 की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 05.03.2013 को किया गया उसमें पडोस के रूप में पश्चिम दिशा में 100 फीट रास्ता बतलाया गया तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी एनएच 65 की चौड़ाई रिकॉर्ड में 100 फीट है अतः एक खातेदार की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होने पर भी पूर्व के एक मात्र बेचान नक्शा में सलंगन आवासीय स्कीम नक्शा में रास्ता 150 फीट दर्शाये जाने से उस रास्ता



की चौड़ाई 150 फीट मानना उचित नहीं है। ग्राम भाकरासनी के ख.नं. 202/4 एवं उसके आस-पास का NIC-BHUNAKSHA कम्प्यूटराईज नक्शा की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के कि.मी. 308/0 से कि.मी. 378/15 तक के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन का बनाने आदि) के लिए ख. नं. 202/4 की भूमि के साथ साथ अन्य ख.नं. 202/1, 202/2, 202/3 की भूमि में से भूमि अवाप्ति कार्यवाही से प्रभावित हुई है जिसमें से प्रभावित भूमि को कम किया गया एवं हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में गणना कर मुआवजा का निर्धारण किया गया। हलका पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का भूखण्ड सं० 3 की आवासीय भूमि मौके पर **45x25 फीट यानि 0.0104 हेक्टर भूमि** उपरोक्त अवाप्ति से प्रभावित है। अतः ख.नं. 202/4 की भूमि धारा 3डी में श्राये जाने के पश्चात् भी प्रभावित प्रार्थीपक्ष की आवासीय भूमि का मुआवजा निर्धारण क्लेम अस्वीकार करना विधिक त्रुटि की गई है। राजस्व रिकॉर्ड एवं हलका पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के कि.मी. 308/0 से कि.मी. 378/15 तक के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन का बनाने आदि) हेतु प्रार्थीपक्ष की ग्राम भाकरासनी के ख.नं. 202/4 की संपरिवर्तित आवासीय भूखण्ड सं० 3 बनाप 45x30 फीट भूमि में से **45x25 फीट यानि 0.0104 हेक्टर भूमि** अवाप्ति से प्रभावित हुई आवासीय भूमि का मुआवजा प्रार्थी पाने का अधिकारी है, परिणामस्वरूप प्रार्थीपक्ष का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर का आदेश क्रमांक 2567 दिनांक 27.08.2015 प्रार्थीपक्ष की ख.नं. 202/4 के भूखण्ड सं० 3 की भूमि की सीमा तक निरस्त किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीपक्ष की जो भूमि अवाप्ति कार्यवाही में प्रभावित हुई, उस भूमि बाबत् प्रार्थीपक्ष को सुनवाई/दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए उक्त भूमि का पुनः मुआवजा निर्धारण का आदेश पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

जिला मजिस्ट्रेट

— . . .